

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/मा—स/समान परीक्षा(7)/22402/2026—27/ दिनांक : यथा ई—हस्ताक्षर

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :- राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2026—27 के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र दिनांक : 11.05.2026 (राजकाज संदर्भ संख्या : 22109923)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षिक सत्र 2026—27 हेतु राज्य स्तरीय समान परीक्षा अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम निर्धारण के संबंध में जारी संदर्भित दिशा—निर्देशों की निरन्तरता में राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2026—27 की समय—सारणी संलग्न कर अग्रांकितानुसार दिशा—निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

(अ) समय सारणी :-

- राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2026—27 दिनांक : 25.11.2026 से 07.12.2026 तक संलग्नित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जायेगी।
- जो भी विषय उक्त समयसारणी में उल्लेखित नहीं हैं, उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेगी।
- उक्त परीक्षा से सम्बन्धित विद्यालय स्तर की परीक्षाएँ व प्रायोगिक विषयों की परीक्षाएँ संलग्नित समय—सारणी में उपलब्ध अन्तराल दिवसों पर आयोजित की जायेगी।
- प्रश्न—पत्रों के वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर के द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे, जिनकी पालना सुनिश्चित की जानी है।

(ब) प्रश्न पत्रों की सुरक्षा :-

- प्रश्न—पत्रों के निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी सन्देश/गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में सम्बन्धित संभागीय संयुक्त निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जायेंगे।
- निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्रों को सम्बन्धित यूसीईईओ/पीईईओ के पास रखा जायेगा।
- सुरक्षा व्यवस्था के मध्यनजर प्रश्न पत्र यथा संभव पुलिस थाने में रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में यदि प्रश्न पत्र पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों में रखे जाते हैं तो राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाने तथा रात्रि कालीन ड्यूटी लगायी जाना सुनिश्चित किया जावे।

- सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को यह निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है कि प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में रखा जाना है अथवा पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों में।
- प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित संभागीय संयुक्त निदेशक द्वारा अधीनस्थ पीईईओ/यूसीईईओ को संवेदशील प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।
- सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय के कार्यभार का दायित्व जिस कार्मिक के पास होगा, उसी कार्मिक को परीक्षा के आयोजन के दौरान प्रभारी/केन्द्राधीक्षक बनाया जायेगा।
- उक्त परीक्षाओं के आयोजन के दौरान सम्बन्धित संभागीय संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/डाइट प्राचार्य द्वारा उड़नदस्ते गठित कर परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया जावे।
- उक्त परीक्षा आयोजन के दौरान जिला/ब्लॉक कार्यालय स्तर पर आरक्षित प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा आरक्षित प्रश्न पत्रों को भी सम्बन्धित पुलिस थानों में रखवाया जायेगा।

उक्तानुसार समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में नियमानुसार, समयबद्ध रूप से गोपनीय व शांतिपूर्वक परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा/गोपनीयता बनाए रखने हेतु समस्त कार्य जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जावे। इस हेतु जिला स्तर पर प्रश्न पत्र प्राप्त होने से पूर्व जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन संबंधित जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में करवाया जाकर बैठक में लिए गए निर्णयों की पूर्णतः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :- राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2026–27 की समय–सारणी।

(ललित कुमार)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन

अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई-मेल)।
5. समस्त जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को प्रश्नपत्रों को पुलिस थानों में रखने की व्यवस्था हेतु (जरिये ई-मेल)।

6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिये ई-मेल)।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन किये जाने बाबत (जरिये ई-मेल)।
10. उपनिदेशक, माध्यमिक अनुभाग, कार्यालय हाजा को राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन की तिथियों में परिवर्तन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर को वांछित कार्यवाही हेतु।
12. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई-मेल)।
13. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत (जरिये ई-मेल)।
14. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक को पालनार्थ (जरिये ई-मेल)।
15. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई-मेल)।
16. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
17. समस्त संस्था–प्रधान।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

